न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(चिन्मयी गोपाल, आई.ए.एस द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 05 / 2022
प्रविष्टि दिनांक 22.08.2022

जरिये धर्मचन्द अग्रवाल, प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय जिला रसद अधिकारी टोंक
– प्रार्थी

बनाम

मै0शीतल होटल कोटा जयपुर रोड नेशनल हाई–वे टोंक
– अप्रार्थी

जब्तशुदा 4 घरेलू गैस सिलेण्डर मय लोहे की भट्‌टी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत निस्तारण कर राजसात करने बाबत

उपस्थितः–

1– पेराकार सरकार – प्रार्थी की ओर से
2– अप्रार्थी स्वंय

निर्णय

दिनांक : **14.11.2022**

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि दिनांक 07.08.2022 को प्रवर्तन अधिकारी बहमराह तहसीलदार टोंक के साथ मै0शीतल होटल, कोटा जयपुर रोड, नेशनल हाई–वे,तहसील टोंक के व्यवसाय स्थल का निरीक्षण करने पर व्यवसायी द्वारा घरेलू गैस श्रेणी के सिलेण्डर (मानकभार 14.2 KG) को ईधन के रूप में अवैध रूप से खाद्य सामग्री बनाने में प्रयुक्त किया जा रहा था। मौके पर 4 घरेलू गैस श्रेणी के सिलण्डर रखे पाये गये जिनमें से एक सिलेण्डर रबर पाईप, रेगुलेटर एवं गैस चूल्हा के माध्यम से अवैध रूप से खाद्य सामग्री बनाने में ईधन के रूप में मौके पर काम में लिया जा रहा था।घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण व ईधन के रूप में अवैध रूप प्रयोग करने के कारण उक्त 4 सिलेण्डर मय रबर पाईप, रेगुलेटर एवं लोहे की भट्‌टी सहित मौके पर फर्द अभिग्रहण तैयार की गई जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:57:43 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

(सभी मात्रा किलोग्राम में)

क्र.स.	एस.आर. नम्बर	कम्पनी का नाम	मानक भार	खाली सिलेण्डर वजन	सिलेण्डर का वजन तौलने पर	शुद्व गैस
01	236059T	(BPCL)	14.2	15.4	15.6	0.200
02	517451S	(BPCL)	14.2	15.6	15.8	0.200
03	029389J	(BPCL)	14.2	15.3	24.2	8.9
04	988253B	(BPCL)	14.2	15.5	18.7	3.2
योग						12.5

इस प्रकार व्यवसायी द्वारा घरेलू गैस सिलण्डरों का अवैध भण्डारण एवं व्यवसायिक कार्यो में दुरूपयोग कर एलपीजी कन्ट्रोल आर्डर 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है। उक्त जब्तशुदा सामग्री को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी की गयी। प्रकरण मे पेरोकार सरकार एंव अप्रार्थी की बहस सुनी गई।

पेरोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया कि दिनांक 07.08.2022 को प्रवर्तन अधिकारी, जिला रसद कार्यायल टोंक बहमराह तहसीलदार टोंक के साथ मै0शीतल होटल, कोटा जयपुर रोड, नेशनल हाई–वे,तहसील टोंक के व्यवसाय स्थल का निरीक्षण करने पर व्यवसायी द्वारा घरेलू गैस श्रेणी के सिलेण्डर (मानकभार 14.2 KG) को ईधन के रूप में अवैध रूप से खाद्य सामग्री बनाने में प्रयुक्त किया जा रहा था। मौके पर 4 घरेलू गैस श्रेणी के सिलण्डर रखे पाये गये जिनमें से एक सिलेण्डर रबर पाईप, रेगुलेटर एवं गैस चूल्हा के माध्यम से अवैध रूप से खाद्य सामग्री बनाने में ईधन के रूप में मौके पर काम में लिया जा रहा था। मौके पर होटल पर श्री नितेश कुमार पुत्र श्री ज्ञानकुमार वर्मा उम्र 19 वर्ष जिला गिरडीह राज्य झारखण्ड हाल कार्मिक बतौर मैनेजर शीतल होटल मौजूद मिलें जिनकी उपस्थिति में निरीक्षण एवं अभिग्रहण की कार्यवाही की गई।घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण व ईधन के रूप में अवैध रूप प्रयोग करने के कारण उक्त 4 सिलेण्डर [illegible] पाईप, रेगुलेटर एवं लोहे की भट्टी सहित मौके पर फर्द अभिग्रहण तैयार की गई। इस प्रकार व्यवसायी द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:57:43 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
टोंक (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
टोंक

घरेलू गैस सिलण्डरों का अवैध भण्डारण एवं व्यवसायिक कार्यो में दुरूपयोग कर एलपीजी कन्ट्रोल आर्डर 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है। इस कारण उक्त 4 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 12.5 Kg एलपीजी गैस, रबर पाईप, रेगुलेटर एवं लोहे की भट्टी जब्त किया गया तथा जब्त सामग्री मय 4 गैस सिलेण्डर को सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित रखने हेतु टोंक गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स के प्रतिनिधि श्री किशोर महावर पुत्र श्री छोटूराम महावर की सपुदर्गी में दिया जाकर निर्देशित किया गया कि जब भी जहॉ भी राज्य सरकार मांगे प्रस्तुत करे तथा इनको खुर्द–बुर्द नही करें। व्यवसायी ने उक्त कृत्त्य कर एलपीजी (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लघंन किया है। जब्तशुदा 4 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 12.5 Kgएलपीजी, रबर पाईप, मय रेगुलेटर व लोहे की भट्टी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से उक्त सामग्री जप्त सरकार कि गई है जिसे राजसात किया जावे।

अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश न कर प्रकरण का उचित निस्तारण किये जाने का अनुरोध किया।

हमने पेरोकार सरकार की बहस एंव अप्रार्थी के कथन पर मनन किया व पत्रावली का अध्ययन किया गया। फर्द मौका जप्ती दि0 07.08.2022 के अनुसार मै0शीतल होटल, कोटा जयपुर रोड, नेशनल हाई–वे टोंक पर आकस्मिक निरीक्षण करने पर मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डरों को ईधन के रूप में अवैध रूप से खाद्य सामग्री बनाने का कार्य करने के कारण उक्त 4 सिलेण्डर मय लोहे की भट्टी सहित मौके पर जब्त कर तौल पट्टी तैयार की गई जिसका विवरण निम्नानुसार है।

(सभी मात्रा किलोग्राम में)

क्र.स.	एस.आर. नम्बर	कम्पनी का नाम	मानक भार	खाली सिलेण्डर वजन	सिलेण्डर का वजन तौलने पर	शुद्व गैस
01	236059T	(BPCL)	14.2	15.4	15.6	0.200
02	517451S	(BPCL)	14.2	15.6	15.8	0.200
03	029389J	(BPCL)	14.2	15.3	24.2	8.9
04	988253B	(BPCL)	14.2	[illegible]	18.7	3.2
योग						12.5

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:57:43 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

जांच करने पर दुकान/होटल मे मौके पर 4 घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण किया जाना पाया गया। फर्द मौका/जप्ती पर प्रदीप तथा नीतीश कुमार के हस्ताक्षर है। सुपुर्दगीनामे पर भी प्रदीप,नीतीश कुमार व किशोर के हस्ताक्षर है। टोंक गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स के प्रतिनिधि किशोर महावर को उक्त सामग्री सुपुर्दगी मे दी गई है।

घरेलू गैस जिस पर सरकार द्वारा समय-समय पर सब्सिडी दी जाती है को घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण व ईधन के रूप में अवैध रूप से खाद्य सामग्री बनाने के कार्य में प्रयोग करने से उक्त कृत्य कर एलपीजी आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः उक्त सामग्री को राजसात किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जब्तशुदा 4 नग उक्त वर्णित घरेलू रसोई गेस सिलेण्डर मय 12.5 kg को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी टोंक को निर्देशित किया जाता है कि जब्तशुदा सामग्री का नियमानुसार निस्तारण करे।

निर्णय आज दिनांक 14.11.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
टोंक (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:57:43 IST
Reason: SelfAttested